web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

Social Justice Union — Govt. Registered

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 24 अप्रैल 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 206

सेना पर खर्च करने के मामले में दुनिया का चौथा देश बना भारत, सिपरी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

नई दिल्ली । आरएनएस

भारत सेना पर सबसे ज्यादा खर्च वालों की लिस्ट में दुनिया का चौथा बड़ा देश है। इसकी जानकारी स्टॉकहोम इंटरनैशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी देश चीन के बढ़ते सैन्य खर्च और क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने पड़ोसी मुल्कों के भी खर्च को बढ़ा दिया है। इसी बीच जापान और ताइवान ने भी अपने सैन्य वजट में 11 प्रतिशत का इजाफा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2022 के मुकाबले भारत ने अपनी सेना पर 4.2 प्रतिशत अधिक खर्च किया।

रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में अपनी सेना पर सबसे ज्यादा अमेरिका ने खर्च किया है। दूसरे नंबर नंबर पर चीन और तीसरे स्थान पर रूस है। भारत का नाम चौथे पायदान पर है। भारत साल 2022 में भी सेना पर खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में चौथे स्थान पर था। भारत ने पिछले साल 2023 में 83.6 बिलियन अमेरिका डॉलर खर्च किया।

रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन का सैन्य खर्च 51 प्रतिशत बढक़र 64.80 बिलियन डॉलर हो गया। रूस का सैन्य वजट 24 फीसदी बढक़र 109 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका ने 2.3 प्रतिशत सैन्य बजट बढ़ाकर 916 बिलियन डॉलर कर दिया। जबकि चीन 6 प्रतिशत बढ़ाकर 296 बिलियन डॉलर कर दिया। दुनिया में हथियार खरीदने की ऐसी होड़ मची कि वैश्विक सैन्य खर्च 7% बढक़र 2,443 बिलियन डॉलर हो गया। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में एक दशक की सबसे तेज वृद्धि हुई है। यह इजाफा दुनिया के कई हिस्सों में चल रही जंगों और अन्य वजहों से हुआ है।

अमेरिका शीर्ष पर तो चीन दूसरे स्थान पर- सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में अमेरिका अब भी शीर्ष पर है। 2023 में अमेरिका ने 916 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए जो दुनियाभर के कुल खर्च का 37% से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसका खर्च अमेरिका से लगभग एक तिहाई है। उसने 296 अरब डॉलर खर्च किए, जो कुल खर्च का 12% है। यह 2022 से 6% ज्यादा है। इन दोनों देशों ने ही कुल खर्च में आधे का योगदान दिया।

2023 में भारत ने 83.6 अरब डॉलर खर्च किए- सैन्य खर्च के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश भारत है जिसने 83.6 अरब डॉलर खर्च किए। 2022 के मुकाबले यह 4.2 फीसदी ज्यादा था। 2022 में जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाले पांच देश थे, वे सभी 2023 में वैसी ही स्थिति में बने हुए हैं। इसमें तीसरे नंबर पर रूस है। इसके बाद भारत और सऊदी अरब का नंबर है। 2023 में रूस का खर्च 2022 के मुकाबले 24 फीसदी बढ़कर 109 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग किया था, उसके बाद से यह 57 फीसदी की वृद्धि है। रूस अपनी जीडीपी का 5.9 फीसदी सेना पर खर्च कर रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध भी प्रमुख कारण- सिपरी के शोधकर्ता लॉरेंजो स्काराजातो ने कहा, सैन्य खर्चों के बढ़ने के मुख्य कारकों में से एक तो रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध है। यूक्रेन सैन्य खर्च के मामले में आठवां सबसे बड़ा देश रहा है। उसका खर्च 51 फीसदी बढ़कर 64.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो उसकी कुल जीडीपी का 37 फीसदी है। सैन्य खर्च में सबसे बड़ी वृद्धि डेमोक्रैटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में देखी गई, जहां सरकार और विद्रोहियों के बीच युद्ध जारी है. उसका खर्च 105 फीसदी बढ़ा है।

2014 से 44 प्रतिशत बढ़ा खर्च- सिपरी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीयों द्वारा खर्च 2022 से 4.2 प्रतिशत और 2014 से 44 प्रतिशत बढ़ गया है। इसमें कहा गया कि भारत के सैन्य खर्च में वृद्धि 'मुख्य रूप से बढ़ती कार्मिक और परिचालन लागत का परिणाम थी' जो 2023 में कुल सैन्य बजट का लगभग 80 प्रतिशत थी।

महत्वपूर्ण एवं खास

पटाखे में आग लगने से हुई पति-पत्नी को मौत, शादियों में आतिशबाजी का करते थे काम

गाजियाबाद (आरएनएस)। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के फारुख नगर में 22 अप्रैल को एक मकान में आग लग गई। जिस समय आग लगी, उस समय घर में पति पत्नी सो रहे थे। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों शादियों में इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और घर में काफी ज्यादा आतिशबाजी रखी हुई थी। आग लगने से दोनों बुरी तरह झुलस गए। गाजियाबाद में एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि 22 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि थाना टीला मोड़ के फारूक नगर इलाके में एक मकान में आग लग गई। पुलिस और दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि पूरे घर में आग लगी हुई है। इस आग में झुलस कर पति-पत्नी की मौत हो गई। पति का नाम शम्सुद्दीन (57 साल) और पत्नी का नाम समरजहां (55 साल) था। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर किसी तरह काबू पाया। पुलिस ने इस मामले में जांच की तो पता चला थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित फारुख नगर मे एक मकान में आग लगने की जो घटना हुई उसमें मृतक दंपति शादियों में इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर आतिशबाजी का काम करते थे। 23 अप्रैल को भी इन्हें एक शादी में आतिशबाजी का काम करना था। इसके लिए इन्होंने पास के एक लाइसेंसी पटाखा विक्रेता से करीब 13,000 रुपए के पटाखे खरीदकर अपने घर में रखा था जिसमें आग लगने से यह दुर्घटना हुई।

दिव्यांग बच्चों की मां को चाइल्ड केयर लीव देने से मना नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकलांग बच्चे की देखभाल करने वाली मां को बाल देखभाल अवकाश देने से इनकार करना, कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के राज्य के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिव्यांग बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) देने के मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि याचिका में एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी विशेषाधिकार का मामला नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है और एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य इससे अनजान नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि केंद्र को मामले में पक्षकार बनाया जाए और इस पर निर्णय देने में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सहायता मांगी। अदालत ने राज्य के अधिकारियों को याचिकाकर्ता महिला (राज्य में बतौर भूगोल विभाग में सहायक प्रोफेसर कार्यरत) को सीसीएल देने की याचिका पर विचार करने का भी निर्देश दिया। उनका बेटा आनुवंशिक विकार से पीड़ित है और जन्म के बाद से उसकी कई सर्जरी हो चुकी हैं। अपने बेटे के इलाज और सीसीएल के लिए प्रदान किए गए केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के कारण उनकी स्वीकृत छुट्टियां समाप्त हो गईं।

ईडी का एक्शन, शेख शाहजहां के छोटे भाई के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस

कोलकाता (आरएनएस)। ईडी ने मंगलवार को निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के छोटे भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने सिराजुद्दीन को कई बार समन भेजा था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद अब ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। सिराजुद्दीन के देश से भाग जाने की आशंका के चलते ईडी ने भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और सीमा चौकियों को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा सिराजुद्दीन की तस्वीरों सहित महत्वपूर्ण जानकारी इमिग्रेशन अधिकारियों को भेज दी गई है। इस बीच ईडी अधिकारियों ने शेख शाहजहां के एक और छोटे भाई शेख आलमगीर को हिरासत में ले लिया है, जिसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

मकान में आग लगने से दंपति की जलकर मौत

गाजियाबाद । आरएनएस

टीला मोड़ थाना क्षेत्र के फरुखनगर में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मकान में आग लगने से दंपति की जलकर मौत हो गई। मकान में पटाखे रखे हुए थे। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पटाखों से फैली आग से घर का सामान भी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

टीला मोड़ थाना क्षेत्र के फरुखनगर में 57 वर्षीय इरफान, 55 साल की पत्नी समरजहां के साथ रहते थे और शादी के अलावा अन्य कार्यक्रमों में आतिशबाजी का कार्य करते थे। उनकी सहारनपुर में पटाखे की फैक्ट्री भी है। पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि इरफान के मकान में आग लग गई है। इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलने पर दमकल कर्मियों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि मकान में आग लगी हुई है और ग्रामीण आग बुझाने में लगे हुए हैं। दमकल कर्मियों ने भी आग पर काबू पाया।

पुलिस ने बताया कि आग बुझाने के बाद मकान में देखा तो इरफान और उनकी पत्नी गंभीर रूप से झुलसे हुए थे। दोनों को तत्काल जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और घर में पटाखे रखे हुए थे। इस कारण आग तेजी से फैल गई। जिसमें जलकर दंपति की मौत हो गई। मकान का सामान भी जला है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

सुप्रीमकोर्ट ने रामदेव को फिर लगाई फटकार, पूछा- क्या माफीनामे का साइज विज्ञापन जितना बड़ा था?

नई दिल्ली । आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में एक बार फिर से फटकार लगाई है। कोर्ट में पतंजलि की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 67 अखबारों में विज्ञापन देकर माफीनामा छपवाया था। इसमें 10 लाख रुपये का खर्चा आया। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या ये माफीनामा उतने ही साइज के थे, जितने साइज के आपके पहले वाले विज्ञापन थे।

कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या आप हमेशा इतने ही साइज का विज्ञापन छपवाते हैं। इस मामले में अब 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामदेव के वकील ने जवाब में कहा कि माफीनामे का साइज विज्ञापनों जितना बड़ा नहीं था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लाखों में। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण से कई सवाल पूछे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि अपने क्या किया? तो उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्हें 67 अखबारों में एड दिया, जिसमें दस लाख रुपये का खर्चा आया है। इस पर बेंच रामदेव और बालकृष्ण पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आपने अपना विज्ञापन कहां प्रकाशित कराया और इसमें इतना वक्त क्यों लगा। क्या ये विज्ञापन उतने ही साइज के थे, क्या आप हमेशा इतने ही साइज का एड देते हैं। इस पर अधिवक्ता ने कहा, नहीं, महोदय.. इसकी कीमत बहुत ज्यादा है.. लाखों रुपये है।

बेंच के सवालों का जवाब देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि हमने विज्ञापन नहीं माफीनामा प्रकाशित कराया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि इसे कल क्यों दायर किया गया? हम अब बंडलों को नहीं देख सकते! इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था।

इससे पहले 16 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह अभी उन्हें इस चरण में राहत नहीं देने जा रहा है।

भारत में बिकने वाले मसालों की जांची जाएगी गुणवत्ता, हांगकांग-सिंगापुर की आपत्ति के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली । आरएनएस

भारत में बिकने वाले मसालों की गुणवत्ता जांची जाएगी। यह फैसला हांगकांग, सिंगापुर द्वारा दो लोकप्रिय भारतीय ब्रांडों – एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों की गुणवत्ता पर चिंता जताने के बाद लिया गया है। हांगकांग के खाद्य नियामक सेंटर फार फूड सेफ्टी (सीएफएस) ने कहा था कि इन मसालों में कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड) है जिससे कैंसर होने का खतरा होता है। नियामक ने विक्रेताओं को इनकी बिक्री रोकने का निर्देश दिया था।

सरकारी सूत्र ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने देशभर से एमडीएच और एवरेस्ट सहित सभी ब्रांडों के मसालों के पाउडर के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। एफएसएसएआइ निर्यात किए जाने वाले मसालों की गुणवत्ता को नियंत्रित नहीं करता है।

सरकारी सूत्रों ने कहा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले एफएसएसएआइ घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले मसालों की गुणवत्ता की जांच करेगा। देश के सभी खाद्य आयुक्तों को अलर्ट कर दिया गया है। मसालों के नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीन से चार दिनों में देश की सभी मसाला निर्माता इकाइयों से नमूने एकत्र किए जाएंगे। सिर्फ एमडीएच और एवरेस्ट ही नहीं सभी मसाला कंपनियों से नमूने लिए जाएंगे। लैब से लगभग 20 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी।

इस बीच भारतीय मसाला बोर्ड भारतीय ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट के चार मसालों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध की जांच कर रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की निदेशक एबी रेमा श्री ने कहा, इन मामलों पर हमारी नजर है। जब इन आरोपों को लेकर इन कंपनियों से सपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।

हांगकांग में प्रतिबंधित मसाले खरीदने पर रोक- हांगकांग के खाद्य नियामक सेंटर फार फूड सेफ्टी (सीएफएस) ने उपभोक्ताओं से इन उत्पादों को न खरीदने को कहा है, जबकि सिंगापुर की खाद्य एजेंसी ने ऐसे मसालों को वापस लेने का निर्देश दिया है। जिन चार उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें एमडीएच का मद्रास करी पाउडर, एवरेस्ट फिश करी मसाला, एमडीएच सांभर मसाला मिक्स और एमडीएच करी पाउडर मिक्स मसाला शामिल है।

भारत में खाद्य पदार्थों में एथिलीन ऑक्साइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

भारत में खाद्य पदार्थों में एथिलीन ऑक्साइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड से कहा है कि वह जागरूकता फैलाए कि उत्पादों में कोई हानिकारक तत्व नहीं मिलाया जाए। भारतीय मसालों में हानिकारक तत्व पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मसाला बोर्ड के अनुसार एथिलीन ऑक्साइड को 10.7 सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर ज्वलनशील, रंगहीन गैस होता है। कीटनाशक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए भी किया जाता है। प्राकृतिक स्त्रोतों के अलावा, इसे जल-जमाव वाली मिट्टी, खाद और कीचड़ से भी पैदा किया जा सकता है।

ट्रैक्टर बाइक भिड़ंत में दोनों के चालकों की मौत

जौनपुर । आरएनएस

जिले के मडिय़ाहू कोतवाली क्षेत्र के मडिय़ाहूं जलालपुर मार्ग पर टेकरडीह गांव में ट्रैक्टर व बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई। जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना के बाद भाग रहे ट्रैक्टर चालक की बोलेरो की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी की मुताबिक सोमवार की रात साढ़े 11 बजे के करीब ट्रैक्टर चालक मिट्टी लादकर जा रहा था। वह जैसे ही भगतगंज तिराहे पर पहुंचा कि सामने से आ रही बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक व चालक ट्रैक्टर में फंसकर काफी दूर तक घसीटता गया। जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक घबराकर ट्रैक्टर से कूद कर भागने लगा। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो की चपेट में आ गया। जिससे उसकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए बोलेरो चालक भाग निकला।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों की पहचान कराई। दोनों की पहचान ट्रैक्टर चालक विकास यादव उर्फ राजू यादव निवासी टेकरडीह थाना मडियाहू व बाइक चालक संतोष सरोज निवासी चवरी पराऊंगंज के रूप में हुई। बाइक सवार मृतक अपनी ससुराल रानीपुर थाना मडिय़ाहू के लिए आ रहा था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रैक्टर को पुलिस कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर रही थी।

जमीन घोटाला मामला

हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर जवाब के लिए ईडी ने कोर्ट से मांगा वक्त

रांची । आरएनएस

जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए ईडी ने एक बार फिर अदालत से वक्त मांग लिया है। सोरेन की याचिका पर मंगलवार को एक बार फिर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ने ईडी ने जवाब देने के लिए दो हफ्ते के समय की मांग की।

हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने ईडी को एक हफ्ते का समय देते हुए 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। रांची के बडग़ाईं अंचल में 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ईडी ने मामले में 30 मार्च को अदालत में हेमंत सोरेन के अलावा जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कच्छप के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की है। इसमें बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से जमीन हासिल की, बल्कि जांच शुरू होने पर साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के ढाई महीने बाद पहली बार जमानत की याचिका दाखिल की है, जिसपर इसके पहले 16 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी।

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता, मुंबई क्राइम ब्रांच ने नदी से ढूंढ निकाली बंदूक और मैगजीन

सूरत । आरएनएस

सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत के तापी नदी से बंदूक और मैगजीन बरामद की है। गोताखोरों को सूरत की तापी नदी से तीन मैगजीन और 13 कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने तापी नदी से हथियार बरामद करने का एक वीडियो भी जारी किया है। बता दें, बीते दिनों अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, सीएम एकनाथ शिंदे अभिनेता से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे।

उधर, पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके तार बिहार के बेतिया जिले से जुड़े हुए बताए गए। इनके नाम हैं – विक्की गुप्ता और सागर पाल। हालांकि, इनके परिजनों ने दोनों के फायरिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले पुलिस ने सलमान खान को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अभिनेता ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं है। ऐसे में कोई उन्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा? यह तो अपने आप में ही एक अबूझ पहेली है।

यही नहीं, इससे पहले अभिनेता के पिता सलीम खान को भी मॉर्निंग वॉक के दौरान एक धमकी भरा लेटर मिला था, जिसमें सलमान खान को मारने का जिक्र किया गया था। लेटर में सलमान को बिश्नोई गैंग की ओर से जाने से मारने की गई थी, जिसके बाद अभिनेता की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब इस बीच जिस तरह से उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है, उसके बाद यह मामला काफी पेचीदा हो गया है।

सलमान खान के बाद बीते सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. जितेंद्र आव्हाड को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है।